न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

अपील संख्या ::— 8/2015

1. श्रीमति हीरीबाई पत्नि स्वर्गीय चम्पालाल जाति धाकड निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ (आदेश दिनांक 6.11.2024 से नाम तर्क किया)
2. श्रीमति प्रेम पुत्री स्वर्गीय चम्पालाल जाति धाकड निवासी चावण्डिया तह0बेगूँ

अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री लादुलाल पिता श्री दोला जाति धाकड निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित ::— श्री सुरेश चन्द्र टेलर
अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता रेस्पो0

आदेश दिनांक ::— 30.04.2025

आदेश अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 105 दिनांक 05.07.2001 ग्राम पंचायत बिछोर पंचायत समिति बेगूँ जिला चितौडगढ़

अपील पत्र इस प्रकार से है कि ग्राम हरदेवपुरा पटवार हल्का बिछोर तहसील बेगूँ की संवत 2057—2060 की खतौनी संख्या 13, 14, 46, 125 वर्णित कृषि आराजीयात स्वर्गीय चम्पा पिता लालू धाकड सहित अन्य सहखातेदार के साथ खाते मे दर्ज थी। चूंकी अपीलांट संख्या एक का पति एवं अपीलांट संख्या 2 का पिता स्वर्गीय चम्पा की दिनांक 21.11.2000 को मृत्यु हो गई तो विरासत से नलामान्तरण अपीलांट्स के नाम खुलना चाहिए था, किन्तु रेस्पोडेन्ट ने फर्जी एवं कपटपूर्वक तैयार दस्तावेज का सहरा लेते हुए राजस्व कर्मचारियो से मिल कर नामान्तरण संख्या 105 दिनांक 5.7.2001 से अपने नाम करा लिया जिससे असंतुष्ट हो अपील अपीलांट्स निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

1— यह कि ग्राम पंचातय खेडी ने उक्त नामान्तरण संख्या 105 को तथ्यो एवं कानून की अनदेखी कर निर्णित करने में भारी भूल की है इसलिये नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है।

2— यह कि मृतक खातेदार स्व0 चम्पा पिता लालु अपीलांट संख्या एक का पति है एवं अपीलांट संख्या 2 का पिता है तथा नामानतरण वर्णित कृषि भूमियां अपीलांट्स की पैत्रिक सम्पत्ति है इसलिये पैत्रिक सम्पति का वसीयत करने का स्वर्गीय चम्पा जी को न तो अधिकार था एवं न ही उन्होने काई वसीयत की थी। रेस्पोडेन्ट ने कपट पूर्वक राजस्व कर्मचारियो से मिल कर उक्त नामान्तरण करवाया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

3— यह कि अपीलांट्स स्वर्गीय चम्पा जी के प्राकृतिक उत्तराधिकारी है इन्हें किसी भी स्थिति में नामान्तरण वर्णित कृषि भूमि से वंचित नहीं किया जा सकता है इसलिए नामन्तरण फैसल करने से पहले अपीलांट को सुनना चाहिए था।

4— यह कि अपीलांट्स के विरूद्ध निष्पादित तथाकथित वसीयत विधि विरूद्ध होकर मात्र शुन्य दस्तावेज है इसलिये शुन्य दस्तावेजात के आधार पर निर्णित नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि रेस्पोडेन्टस के नाम हुए उक्त नामान्तरण की जानकारी अपीलांट्स को नही हो की क्यो कि अपीलांट्स को न तो अधीनस्थ न्यायालय ने सुना एवं न ही कोई सूचना दी गई। अपीलांट्स संख्या 1 वृद्ध अनपढ व पर्दानशीन महिला होने तथा अपीलांट्स संख्या 2 भी ग्रामीण महिला होकर सुसराल रहने से उक्त नामान्तरण के फैसल होने की जानकारी नहीं हो सकी इसलिए अपीलांट्स को दिनांक 18.6.2015 को ज्योही जानकारी हुई पटवार हल्का से उसी दिन नकल प्राप्त कर अपने विधि सलाहाकार से सलाह कर बिना किसी देरी के दिनांक 20 व 21 जून का अवकाश होने से आज अपील अपीलांट धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के साथ अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

6– अन्य कारण वक्त बहस निवेदन किये जावेगें ।
7– यह कि उक्त नामान्तरण संख्या 105 निर्णित दिनांक 5.7.2001 ग्रम पंचायत बिछोर की अपील का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है।

8– यह कि अपील अपीलांट्स निर्धारित न्यायशुल्क पर न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।
9– यह कि अपील अपीलांट्स मय सम्मन प्रोसेस व आवश्यक नकल आदि के न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलांट्स को स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम हरदेवपुरा प0ह0 बिछोर के नामान्तरण संख्या 105 निर्णित दिनांक 5.7.2001 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरण वर्णित कृषि भूमि के सहखातेदार स्वर्गीय चम्पा पिता लालु धाकड निवासी चावण्डिया के उत्तराधिकारियान अपीलांट्स के नाम नामान्तरण फैसल किया जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपीलांट्स की अपील प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। अपील पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र मंत्री द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए अपील पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत करते हुए जवाब में निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 सही होरक स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 का जवाब इस प्रकार है कि अपील की अवधी एक माह होने का कथन सही है शेष कथन गलत होकर अस्वीकार है अपीलान्ट्स को इस नामान्तरण की प्रारंभ से ही जानकारी थी। अपने पिता एवं पति के भूमि किसी अन्य के नाम हो जाये एवं 14 वर्ष का समय व्यतीत हो जाए ऐसा संभव ही नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 गलत होकर अस्वीकार है। अनपढ होना या वृद्ध होने से जानकारी का अभाव हो ऐसा नहीं हो सकता न ही ये तथ्य कानून में क्षम्य की परिभाषा में आते है। किसी भी नामान्तरण या निर्णय की अपील हेतु इतना विलम्ब कानूनन क्षम्य योग्य नहीं होता है। अपीलार्थी के पास नियमित वाद प्रस्तुत करने का उपचार उपलब्ध है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है। नामान्तरण निर्णय पूर्ण जानकारी अपीलार्थीगण को प्रारंभ से थीं। बाद में बदनियति आ जाने से यह अपील नामान्तरण अवधी बाहर प्रस्तुत की है जो चलने योग्य नहीं होकर निरस्त योग्य हैं।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थीगण अवधी बाहर होने से सव्यय निरस्त फरमाने की कृपा करावें।

पत्रावली में दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत होने के पश्चात प्रस्तुत अपील पत्र पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस अपील पत्र के अनुसार करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि दावा नहीं लाया गया है नामान्तरण की अपील की हैं। वसीतय के आधार पर दावा लाना चाहिए था। धारा 10 के अनुसार कोपासर्नर बेटी जो है उनको सुना नहीं गया,और बिना सुने अधिकार समाप्त किये गये। सिविल कोर्ट में वसीयत का दावा चल रहा है।

बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि 2005 से पूर्व कोपासर्नर बेटी नहीं होती थी, सहमति करने पर ही उत्तराधिकार खुलेगा यहा वसीयत कर रखी है, अपीलांट के हस्ताक्षर भी है। वसीयत जो की गई है वह लादूलाल के पक्ष में की गई है तथा हीरा के पति का वह भतीजा है। अपील अपीलांट की खारिज फरमाई जावें।

हमारे द्वारा बहस ध्यानपूर्वक सुने जाने के पश्चात पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 105 का अवलोकन किया गया उक्त नामान्तरण पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर चम्पा के फोत होने पर रजिस्टर्ड वसीयतनामा से नामान्तरण रेस्पोडेन्ट लादूलाल के नाम पर खोला जाकर स्वीकृत किया गया है। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में पूर्व की अपील संख्या 13/2013 व अनवान श्रीमति हीरीबाई व श्रीमति प्रेम बनाम लादूलाल के विरूद्ध अपील बाबत विरूद्ध नामान्तरण संख्या 170 निर्णित 20.8.2001 के लिए की गई थी जिसे इसी न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 19.3.2014 से "अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 170 निर्णित दिनांक 20.8.2001 ग्राम चावंडिया ग्राम पंचायत खेडी निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बेगूँ को रिमाण्ड किया जाकर निर्देश दिये कि मृतक खातेदार चम्पालाल पिता लाल धाकड निवासी चावंडिया के उत्तराधिकारियों की जॉच कर पुनः नामान्तरण खोला जावें।" साथ ही पंजीकृत वसीयतनामा चम्पालाल द्वारा लादूलाल के पक्ष में निष्पादित किया गया की छायाप्रति एवं सिविल न्यायालय में श्रीमति प्रेम पुत्री चम्पा जी धाकड द्वारा लादूलाल के विरूद्ध वसीयतनामा का अवैध घोषित कराने हेतु किये गये दावे की छायाप्रति प्रस्तुत की है। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके प्रकरण संख्या 07/14 व अनवान हीराबाई प्रेमबाई बनाम लादूलाल के प्रकरण में उनके निर्णय दिनांक 03.5.2017 से आदेश दिया कि " अतः पटचवार हल्का खेडी तह0 बेगूँ को निर्देश दिया जाता हे कि वह गांव चावण्डिया के नामान्तरण संख्या 170 निर्णित दिनांक 20.8.2001 में वर्णित कृषि आराजीयात को मृतक चम्पा के स्थान पर लादुलाल पिता दौला 1/3, हीराबाई पतनी स्व.चम्पा 1/3 श्रीमति प्रेम पुत्री चम्पा 1/3 के रूप दर्ज कर नामानतरण खोलकर प्रस्तुत करें"

इन सभी दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किये जाने एवं बहस के वक्त अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी 2022–23(सु.कोर्ट) पेज 81 का अवलोकन किया गया, आर आर टी 2022–23 (सुप्रिमकोर्ट) पेज 84 का अवलोकन किया, साथ ही आर आर टी 2013 (2) पेज 767, आर आर टी 2013(2) पेज 768, आर आर टी 2022

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

1193, आर आर टी 2022 पेज 1198, आर आर टी 2024(1) पेज 25 व आर आर टी 22 पेज 1137, 1140 एवं आर आर टी 2024 पेज 179 इन सभी न्यायिक उद्हरण का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तोवज एवं प्रस्तुत न्यायिक उद्हरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि पूर्व में भी इस न्यायालय में अपील निर्णित की जा चुकी है। जहाँ तक पंजीकृत वसीयत पत्र का प्रश्न है तो उसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा माननीय सिविल कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया गया है, एवं न्यायिक सिद्धान्त के अनुसार हम इस बात को सही मानते हुए है कि वर्ष 2005 से पुत्री को अधिकार अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने का हुआ है किन्तु किसी मृतक खातेदार की जायन्दा पुत्री की सहमति के बिना ही विरासत से नामान्तरण खोला जाना न्याय के विरूद्ध होता है। प्रस्तुत सभी न्यायिक उद्हरण से हम सहमत है। चूँकि सिविल न्यायालय में जो पंजीकृत वसीयत को निरस्त कराने का वाद प्रस्तुत किया हुआ है जो भी उसमें निर्णय होगा उसकी पालना की जावेगी किन्तु मृतक खातेदार की जायन्दा पुत्री को उसके पिता की सम्पत्ति से वंच्छित नहीं किया जा सकता है। अपील अपीलान्ट की स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट की स्वीकार की जाती है। ग्राम हरदेवपुरा प0ह0 बिछोर के नामान्तरण संख्या 105 निर्णित दिनांक 05.07.2001 को निरस्त किया जाता है। मृतक सहखातेदार स्वर्गीय चम्पा पिता लालु धाकड निवासी चावण्डिया के नाम पर दर्ज कृषि आराजीयात उनके उत्तराधिकारी पुत्री अपीलान्ट श्रीमति प्रेम पुत्री स्वर्गीय चम्पालाल धाकड निवासी चावण्डिया के नाम पर नामान्तरण खोले जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

आदेश आज दिंनाक 30.04.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(पनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी बेगूँ
जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

क्रमांक/सरिश्ता/22025/383 दिनांक :– 30.5.25

अपील संख्या 08/2015 व अनवान हीरीबाई वगै बनाम लादुलाल वगै मे आदेश प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी बेगूँ
जिला चित्तौड़गढ़(राज0)